UPVR010016552025

**IN THE COURT OF Adj F.T.C. (14th finance comm.) AT, Varanasi.**

**(Presided Over by Manoj Kumar -II)**

**Civil Revision/22/2025**

रामभजन भारती, उम्र लगभग 77 साल, पुत्र स्व. मुकुन्द भारती, निवासी ग्राम कन्दवा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

**...निगरानीकर्ता**

**बनाम**

(1) बीना दीक्षित, उम्र लगभग 51 साल, पत्नी अजय कुमार दीक्षित, निवासिनी मकान नम्बर बी-38/210-ए-7, मुहल्ला ताराधाम कालोनी, तुलसीपुर, महमूरगंज, जिला वाराणसी।

**...प्रत्यर्थिनी / वादिनी**

(2) ज्ञानवन्ती देवी, उम्र लगभग 70 साल, पत्नी शिवशंकर सिंह, निवासिनी ग्राम नरोत्तमपुर, जक्खिनी, राजातालाब, वाराणसी हाल मुकाम चितईपुर (चौराहा), परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

(3) सुजीत कुमार सिंह, उम्र लगभग 52 साल, पुत्र एकबाल नारायण सिंह, निवासी ग्राम खरौजा, तहसील चकिया, जिला चन्दौली हाल मुकाम मीरानगर कालोनी ग्राम कन्दवा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

**...प्रतिवादी सेट नम्बर-1**

(4) अनिल भारती, वयस्क पुत्र वैकुण्ठनाथ भारती,

(5) श्रीमती शुभा देवी वयस्क पत्नी स्वर्गीय अशोक भारती,

(6) सौजन्या भारती,

(7) पूर्वजा भारती, वयस्क पुत्रीगण स्वर्गीय अशोक भारती, निवासीगण सोमाजी लाल बाग, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश, हाल स्थाई पता निवासीगण ग्राम कन्दवा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

(8) संजय भारती, उम्र लगभग 61 साल, पुत्र शिवनाथ भारती, निवासी मौजा कन्दवा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.05.30 17:46:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**...प्रतिवादी सेट नम्बर-2**

## निर्णय

**1-** निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी/पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, द्रुतगामी न्यायाधीश (सी.डि.), वाराणसी मुकदमा नम्बर- 876/2002, नया वाद नम्बर 470/2024, बीना दीक्षित बनाम ज्ञानवती देवी वगैरह में पारित आदेश दिनांकित 22.01.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

**2-** निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश, सिविल रिवीजन संख्या 103/2007 वैकुण्ठनाथ भारती वगैरह बनाम बीना दीक्षित वगैरह में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.03.2008 में निगरानी न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), वाराणसी द्वारा दिये गये निर्देशों पर बिना ध्यान दिये मनमाने तरीके पर पारित किया है, इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त होने योग्य है। सुलहनामा 35 क वादिनी एवं बजरिए निगरानीकर्ता खुद व बहैसियत मुख्तारेआम शेष प्रतिवादी सेट नम्बर-2 द्वारा दाखिल किया गया है तथा सुलहनामा के पैरा 4 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि "वादिनी प्रतिवादी सेट नम्बर-2 से कुल धनराशि मुबलिग 59,000/- (उनसठ हजार) रूपया मय खर्चा व खेसारा बाबत प्रश्नगत बैनामा नविस्ता वैकुण्ठनाथ भारती व रामभजन भारती वगैरह बहक बीना दीक्षित दिनांकित 09.10.1997 वसूल पा लिया है और अब एक भी पैसा प्रतिवादी सेट नम्बर-2 के जिम्मे बकाया नहीं है। सुलहनामा 35 क तहरीर होने के उपरान्त उसे बखूबी पढ व पढ़वा कर तथा निगरानीकर्ता (प्रतिवादी सेट नम्बर-2) से वादिनी 59,000/- (उनसठ हार) रूपया अपने अधिवक्ता के समक्ष प्राप्त कर सुलहनामा 35 क के हर पन्ना पर वादिनी ने अपना हस्ताक्षर बनाया था तथा वादिनी के प्रत्येक हस्ताक्षर को वादिनी के अधिवक्ता ने तसदीक किया था, इसलिए वादिनी को सुलहनामा 35 क के माध्यम से मुबलिग 59,000/- (उनसठ हजार) रूपया प्राप्त करने के तथ्य से इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं था तथा इस आधार पर विचारण न्यायालय को सुलहनामा तसदीक करने से इन्कार नहीं करना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने सुलहनामा 35 क में तहरीर शर्तों पर बिना ध्यान दिये सुलहनामा 35 क तस्दीक करने से और सुलहनामा 35 क मानने से इन्कार कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र 34 ग के साथ सुलहनामा 35 क न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था जिस पर न्यायालय ने आदेश पारित किया कि "Both Parties are Present, Put up on 26-11-2002"। दिनांक 26.11.2002 के पश्चात् क्रमशः 02.12.2002, 17.01.2003, 06.02.2003, 14.05.2003 की तारीखें पड़ती



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

रही परन्तु सुलहनामा तस्दीक नहीं हो सका तब दिनांक 13.03.2003 को पुनः इस आशय का प्रार्थना पत्र 36 ग दिया गया कि दिनांक 14.05.2003 के बजाय कोई नजदीक की तारीख लगाकर सुनवाई कर ली जाय तथा प्रार्थना पत्र 36 क पर वादिनी के अधिवक्ता ने "नो आब्जेक्शन" लिखा था परन्तु विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया कि "Hearing is not Possible Put up on Date Fixed"। इस प्रकार सुलहनामा दाखिल होने से लेकर दिनांक 13.03.2003 तक वादिनी/ प्रत्यर्थिनी संख्या-1 सुलहनामा तसदीक कराने के लिए तैयार थी परन्तु बाद में उनकी नियत वर्गस्त हो गई तथा दिनांक 09.02.2004 को दूसरे अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र 47 ग न्यायालय में प्रस्तुत कर सुलहनामे में उल्लिखित रूपया प्राप्त करने से इन्कार कर दी और विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 47 ग के विरूद्ध दाखिल आपत्ति 54 ग पर बिना विचार किये 47 ग स्वीकार करते हुए दिनांक 20.02.2007 को सुलहनामा 34 ग खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने सिविल निगरानी संख्या 103/2007 वैकुण्ठनाय भारती वगैरह बनाम बीना दीक्षित वगैरह दाखिल किया था जो दिनांक 13.03.2008 को स्वीकार हुई तथा विचारण न्यायालय को सिविल निगरानी संख्या 103/2007 में पारित निर्णय एवं आदेश के निर्देशानुसार सुलहनामा 35 क का निस्तारण करना था, परन्तु विचारण न्यायालय ने पुनः सुलहनामा 35 क केवल वादिनी के बयान के आधार पर निरस्त कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। आलोच्य आदेश के कायम रहने से निगरानीकर्ता को अपूर्णनीय क्षति है, इसलिए निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2025 अपास्त किया जाना निहायत जरूरी एवं न्याय संगत है।

**3-** विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त निगरानी के विरूद्ध आपत्ति 18 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पुनरीक्षण याचिका संधारणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तथाकथित 35 क संधि-पत्र के आधार पर सुनिश्चित धनराशि मुबलिग 59,000/- रूपया मय खर्चा व खेसारा का भुगतान पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उत्तरदाता विपक्षी को प्रदान नहीं किया गया, बल्कि तत्सम्बन्धित भुगतान के बाबत संधि-पत्र तैयार कराकर उत्तरदाता विपक्षी का हस्ताक्षर कराकर न्यायालय में संस्थित कर दिया गया, जिस तथ्य को इंकार करने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा संधि-पत्र तस्दीक न करते हुए संधि-पत्र निरस्त किया गया, जो विधिसम्मत आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है, अतः इस बिनाय पर भी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अभिकथित कि सुलहनामा तस्दीक कराने के लिए विपक्षी तैयार थी, बादहूँ उसकी नीयत बद् हो गयी और दूसरे अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर संधि-पत्र में उल्लिखित



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

रूपया प्राप्त करने से इंकार कर दी, बिल्कुल सत्य एवं एकतथ्य है, जिसका निराकरण बिना साक्ष्य के सम्भव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका संधारणीय नहीं है। संधि-पत्र के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को उभयपक्ष के मध्य एक सुनिश्चित धनराशि प्रदान किया जाना था, जिसका भुगतान न करने के कारण विपक्षी द्वारा संधि-पत्र सत्यापित कराने से इंकार किया गया, अतः ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त परिस्थितियों तथा न्यायहित में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पुनरीक्षण याचिका निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

**4-** दौरान बहस निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी बीना दीक्षित द्वारा दिनांक 23.11.2002 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 34ग व सन्धि पत्र 35क प्रस्तुत किया गया तथा मूल वाद संख्या 876/2002 में नियत तिथि 06.02.2003 को निरस्त मूल वाद की सुनवाई दिनांक 23.11.2002 को ही इस आधार पर किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि पक्षगण आपस में सुलहनामा करना चाहते है, जिस पर विचारण न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि दोनो पक्षकार उपस्थित है, पत्रावली दिनांक 26.11.2002 को पेश हो, परन्तु सुलहनामा तस्दीक नही किया सका जिस पर प्रतिवादी ने दिनांक 13.03.2003 को प्रार्थना पत्र 36ग प्रस्तुत कर मूल वाद में नियत तिथि 14.05.2003 के बजाय कोई नजदीक की तिथि नियत किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि फरीकैन के बीच सुलनामें की बातचीत चल रही थी जो तय हो गयी है जिस पर वादिनी की ओर अनापत्ति का प्रष्ठांकन किया गया । दिनांक 13.03.2003 को विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 36ग पर यह आदेश पारित किया कि सुनवाई संभव नही है अतः नियत तिथि को पेश हो, परन्तु सुलहनामा तस्दीक नही किया जा सका । जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 10.02.2004 को प्रार्थना पत्र 47ग प्रस्तुत कर पूर्व में स्वयं द्वारा दाखिल सुलहनामा निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया जो यह साबित करता है कि 59,000/-रू प्राप्त करने के बाद वादिनी की नियत बदल जाने के कारण वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 47ग प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.02.2007 को वादिनी का प्रार्थना पत्र 47ग स्वीकार करते हुये सुलहनामा 35क निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी/ निगरानीकर्ता द्वारा सिविल निगरानी संख्या 103/2007 योजित किया गया जो निगरानी न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.2007 निरस्त करते हुये सुलहनामा 35क के संबंध में दोनो पक्ष के विद्वान



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

अधिवक्ताओं को सुनकर तथा निगरानी में दिये द्रष्टान्तों के प्रकाश में स्पष्ट आदेश पारित करने हुये निर्देशित किया गया ।

मूल वाद की पत्रावली पर उपलब्ध 35 क से स्पष्ट है कि उक्त सन्धिपत्र वादिनी द्वारा दिनांक 23.11.2002 को हस्ताक्षरित किया है जिसका सत्यापन वादिनी के अधिवक्ता भी किया गया है। सन्धि पत्र के पैरा 4 में वादिनी द्वारा 59,000/-रू प्राप्त कर लिये जाने व एक भी पैसा प्रतिवादी सेट संख्या 2 अर्थात निगरानीकर्ता के जिम्मे बकाया न होना स्वीकार किया गया है। अतः वादिनी सुलहनामें की वैधता को चुनौती नही दे सकती है। वादिनी शिक्षित महिला है तथा सुलहनामा पर उसके हस्ताक्षर है जिसे उसके अधिवक्ता द्वारा भी सत्यापित किया गया है अतः वादिनी सुलहनामें से मुकर नही सकती है। इसके अतिरिक्त यदि सुलहनामा पक्षकारों द्वारा लिखित में दाखिल किया गया है तथा सुलहनामा को उनके अधिवक्तागण ने तस्दीक भी किया है तो न्यायालय सुलहनामा रिकार्ड करने से इंकार नही कर सकता है, भले ही कोई पक्ष स्वयं को सुलहनामें से अलग कर लें। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 22.01.2025 पारित करते हुये उपरोक्त तथ्यों व निगरानी संख्या 103/2007 में दिये गये किसी द्रष्टान्त पर विचार नही किया गया और न आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारो के अधिवक्तागण को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया है। अतः आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में विधि व्यवस्था हरी सिंह बनाम रामकुमार, 1993(2), सिविल.एल.जे. 349, एक्सएस फाइनेंसियल सर्विसेज लि. बनाम एन. देवेन्द्रन व अन्य, ए.आई.आर. 2003, मद्रास 369, बिमल कुमार बनाम राम कुमार, ए.आई.आर. 2007, हिमाचल प्रदेश, 70, देवी सरूप बनाम श्रीमती वीना निरवानी, ए.आई.आर. 2007(एनओसी) 1511(पी. एण्ड एच.) पर बल दिया है।

**5-** प्रत्यर्थिनी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संधिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित 59,000/-रू का भुगतान वादिनी को निगरानीकर्ता द्वारा नही किया गया है जिसको वादिनी द्वारा सुलहनामा तस्दीक किये जाने के समय विचारण न्यायालय के समक्ष भी स्वीकार किया गया है, जो इस तथ्य का निश्चयात्मक साक्ष्य है कि निगरानीकर्ता द्वारा सन्धिपत्र 35 क की शर्तो का पालन नही किया गया है। सन्धिपत्र 35 क में उल्लिखित धनराशि वादिनी को प्राप्त न होने के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष तथ्यात्मक है जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के अनुकूल है जिसमें कोई तात्विक त्रुटि या क्षेत्राधिकार संबंधी कमी विद्यमान नही है। अतः निगरानी निरस्त होने योग्य है।



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

**6-** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निगरानी व विचारण न्यायालय की पत्रावली व पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22.01.2025 का परिशीलन किया।

**7-** धारा-115 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षण में न्यायालय को मात्र यह देखना है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं था। ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, जो उसमें निहित थी या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमिता से विचारण न्यायालय ने कार्य किया है।

**8-** विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित मूल वाद संख्या 876/2002, श्रीमती बीना दीक्षित बनाम ज्ञानवंती देवी आदि में वादिनी बीना दीक्षित द्वारा ने दिनांक 23.11.2002 को मूल वाद की पत्रावली में प्रार्थना पत्र 34ग व सन्धि पत्र 35क प्रस्तुत कर मूल वाद में नियत तिथि 06.02.2003 को निरस्त मूल वाद की सुनवाई दिनांक 23.11.2002 को ही इस आधार पर किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि पक्षगण आपस में सुलहनामा करना चाहते है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सन्धिपत्र 35क के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संन्धिपत्र वादिनी व प्रतिवादी सेट संख्या 2 अर्थात निगरानीकर्ता राम भजन भारती व मूल वाद के अन्य प्रतिवादी बैठुण्ठ नाथ, प्रेम नाथ, व संजय भारती के मध्य निष्पादित किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर वादिनी बीना दीक्षित व निगरानीकर्ता रामभजन भारती द्वारा स्वयं व बहैसियत मुख्तारेआम बैठुण्ठ नाथ, प्रेम नाथ, व संजय भारती के व उनके अधिवक्तागण के हस्ताक्षर है। उक्त सन्धि पत्र 35 क के पैरा 4 में वादिनी द्वारा प्रतिवादी सेट नं. 2 से कुल धनराशि 59,000/-रू प्राप्त कर लिये जाने व एक भी पैसा प्रतिवादी सेट नं. 2 के जिम्मे कोई बकाया न होना स्वीकार किया गया है। मूल वाद संख्या 876/2002 के आदेश पत्रक से स्पष्ट है कि दिनांक 23.11.2002 के उपरान्त सन्धि पत्र तस्दीक न हो पाने के कारण प्रतिवादी ने दिनांक 13.03.2003 को प्रार्थना पत्र 36ग प्रस्तुत कर मूल वाद में नियत तिथि 14.05.2003 के बजाय कोई नजदीक की तिथि नियत किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि फरीकैन के बीच सुलनामें की बातचीत चल रही थी जो तय हो गयी है जिस पर वादिनी की ओर अनापत्ति का प्रष्ठांकन किया गया ।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र 47ग व शपथ पत्र 48 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा दिनांक 10.02.2004 को प्रार्थना पत्र 47ग प्रस्तुत कर पूर्व में स्वयं द्वारा दाखिल सुलहनामा 35क उसने मुकदमेंबाजी की तकलीफ से बचने की वजह से सुलह को तैयार हो गयी और एक सुलहनामा भी तहरीर हुआ परन्तु प्रतिवादी



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

संख्या 3 ता 6 मिली भगत, षडयन्त्र व साजिश कर उसे बेवकूफ बनाकर उसकी जमीन को हडप लेना चाहते है तथा जो वादा क्षतिपूर्ति व खर्चा किया है, उसको हडप लेना चाहते है। वादिनी का प्रार्थना पत्र 47 ग में यह भी कथन है कि दाखिलशुदा सुलहनामा पर संभवतः वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या 3 ता 6 के दस्तखत है परन्तु कोई तस्दीकी बयान न्यायालय के समक्ष नही हुआ है।

तदुरान्त विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.02.2007 को वादिनी का प्रार्थना पत्र 47 ग स्वीकार करते हुये सुलहनामा 35 क निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी/ निगरानीकर्ता द्वारा सिविल निगरानी संख्या 103/2007 योजित किया गया जो निगरानी न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.2007 निरस्त करते हुये सुलहनामा 35 क के संबंध में दोनो पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा निगरानी में दिये द्रष्टान्तों के प्रकाश में स्पष्ट आदेश पारित करने हुये निर्देशित किया गया ।

स्वीकृत रूप से मूल वाद की पत्रावली पर उपलब्ध 35 क से स्पष्ट है कि उक्त सन्धिपत्र वादिनी द्वारा दिनांक 23.11.2002 को हस्ताक्षरित किया है जिसका सत्यापन वादिनी के अधिवक्ता भी किया गया है। सन्धि पत्र के पैरा 4 में वादिनी द्वारा 59,000/-रू प्राप्त कर लिये जाने व एक भी पैसा प्रतिवादी सेट संख्या 2 अर्थात निगरानीकर्ता के जिम्मे बकाया न होना स्वीकार किया गया है।

इस संबंध में आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. यह प्रावधान करता है कि-

**वाद में समझौता** - जहाँ न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि वाद [पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा] पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है या जहाँ प्रतिवादी वाद की पूरी विषय-वस्तु के या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में वादी की तुष्टि कर देता है वहाँ न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किए जाने का आदेश करेगा और 3 [जहाँ तक कि वह वाद के पक्षकारों से सम्बन्धित है, चाहे करार, समझौते या तुष्टि की विषय-वस्तु वही हो या न हो जो कि वाद की विषय-वस्तु है वहाँ तक तदनुसार डिक्री पारित करेगा] :

[परन्तु जहाँ एक पक्षकार द्वारा यह अभिकथन किया जाता है और दूसरे पक्षकार द्वारा यह इंकार किया जाता है कि कोई समायोजन या तुष्टि तय हुई थी वहाँ न्यायालय इस प्रश्न का विनिश्चय करेगा, किन्तु इस प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी स्थगन की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यायालय, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा स्थगन मंजूर करना ठीक न समझे।]

[स्पष्टीकरण- कोई ऐसा करार या समझौता जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के अधीन शून्य या शून्यकरणीय है, इस नियम के अर्थ में विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा।]



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

इस संबंध में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **हरी सिंह बनाम रामकुमार, 1993(2), सिविल.एल.जे. 349** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि सुलहनामा पक्षकारों द्वारा लिखित में दाखिल किया गया है तथा सुलहनामा को उनके अधिवक्तागण ने सत्यापित भी किया है तो भले ही कोई पक्ष स्वयं से मुकर भी भी जाय तो भी न्यायालय सुलहनामा रिकार्ड करने से इंकार नही कर सकता है। एक अन्य विधि व्यवस्था **एक्सएस फाइनेंसियल सर्विसेज लि. बनाम एन. देवेन्द्रन व अन्य, ए.आई.आर. 2003, मद्रास 369,** में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जब पक्षकारों ने विवाद का निपटारा करते समय अपना आशय स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया हो कि समझौता ज्ञापन को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि समझौता डिक्री प्राप्त की जा सके तो यह मानना ही उचित होगा कि पक्षकारों को यह ज्ञान था कि समझौता न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है ताकि समझौते की शर्तो के अनुसार डिक्री पारित की जा सके । इसलिए यह स्वीकार करना संभव नही है कि पक्षकारों ने यद्यपि समझौता पर हस्ताक्षर किये थे फिर भी वह उसे न्यायालय में दाखिल करने के लिए सहमत नही थे । निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत एक अन्य विधि व्यवस्था **बिमल कुमार बनाम राम कुमार, ए.आई.आर. 2007, हिमाचल प्रदेश, 70,** में यह अवधारित किया गया है कि जहॉ पर पक्षकार शिक्षित व्यक्ति है तथा समझौता पत्र पक्षकारों के अतिरिक्त उनके अधिवक्तागण द्वारा भी हस्ताक्षरित है तथा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया गया हो कि यदि पक्षकार के साथ कपट किया गया है तो किन परिस्थितियों में उसके अधिवक्ता द्वारा समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है तो यह तर्क कि समझौता पत्र कपट का परिणाम है, स्वीकार किये जाने योग्य नही है। एक अन्य विधि व्यवस्था **देवी सरूप बनाम श्रीमती वीना निरवानी, ए.आई.आर. 2007(एनओसी) 1511(पी. एण्ड एच.)** में यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी पक्ष ने समझौते से लाभ प्राप्त कर लिया है तो वह बाद में किसी अन्य कार्यवाही में उस समझौते को अवैध या अमान्य बताकर चुनौती नही दे सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सन्धि पत्र 35क की पैरा में वादिनी द्वारा स्वयं 59,000/-रू सुलहनामा से पूर्व प्राप्त किया जाना स्वीकार करते हुये सन्धिपत्र पर दिनांक 23.11.2002 को अपने हस्ताक्षर किया जाना व उक्त सन्धिपत्र उसके अधिवक्ता द्वारा भी सत्यापित किया जाना प्रकट है। जबकि वादिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समक्ष रूपया न मिलने के कारण सुलहनामे से इंकार किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को द्रष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय को सन्धिपत्र 35क निरस्त करने से पूर्व आदेश 23 नियम 3 के परन्तुक सी.पी.सी. के अधीन



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

इस तथ्य का विनिश्चय करना चाहिए था कि क्या वास्तव में वादिनी को सन्धिपत्र 35 क में उल्लिखित धनराशि वास्तव में प्राप्त हुयी है अथवा नही, जिसे न करके विद्वान विचारण न्यायालय स्वयं में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय की राय में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2025 स्थिर रहने योग्य नही है। फलतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

**9-** प्रस्तुत सिविल निगरानी संख्या 22/2025 स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.01.2025 निरस्त किया जाता है।

**10-** विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में प्रकट किये गये सम्प्रेषण को द्रष्टिगत रखते हुये तथा आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों व उपरोक्त विधिक द्रष्टान्तों को द्रष्टिगत रखते हुये उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर सन्धि पत्र 35 क पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें ।

**11-** निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 30.05.2026

(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।

**12-** निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड-यू0 पी0 1827

दिनांक 30.05.2026
निखिल



(मनोज कुमार II)
अपर जनपद न्यायाधीश/
द्रुतगामी, (14 वॉ वित्त आयोग) वाराणसी।